

# MADHUPUR NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ति कर की सूचना।

Memo No : 901387050623124052

Date : 05-06-2023

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2023-2024

श्री/श्रीमती/सुश्री BEBI DEVI W/O LATE - NARENDRA KUMAR GUPTA,

मोहल्ला NAYA BAZAR MADHUPUR

DEOGHAR, 815353

6205695230

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0190000686000MO वार्ड सं० 19 हुआ है, आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

## स्व-निर्धारित कर की सूचना

क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
		53.00
1	गृह कर	0.00
2	जल कर	0.00
3	शौचालय कर	0.00
4	विजली कर	0.00
5	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
	<b>कुल राशि (प्रति तिमाही)</b>	<b>53.00</b>



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, MADHUPUR NAGAR PARISHAD Website, [suda.jharkhand.gov.in](http://suda.jharkhand.gov.in) पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11 4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।  
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण प्रति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय प्रति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तय गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13 2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- MADHUPUR NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.